न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, पाली संभाग, पाली
पीठासीन अधिकारी :– श्री हरफूल सिंह यादव,आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :–130 / 2024
जी.सी.एम.एस नंबर :– 2024 / 130

अपीलाण्ट :– बनाम रेस्पोडेन्ट :–

1. हंजाराम पुत्र आराम जाति मेशी, निवासी कालेटी, तहसील बागोडा, जिला सांचौर राज

बनाम

1. कोकू देवी पुत्री गंगवाराम
2. परखाराम पुत्र उकडाजी
3. लासूराम पुत्र उकरडा जी
4. पूसी पत्नी उक रहाजी
5. बशाराम पुत्र राजाराम
6. सुगी पत्नी राजाराम
7. बिजलाराम पत्र पूनमाराम
8. वचनाराम पुत्र पूनमाराम
9. वरधाराम पुत्र पूनमाराम
10. सगरामाराम पुत्र पूनमाराम
11. सुजानाराम पुत्र पूनमाराम
12. हिमाराम पुत्र पूनमाराम
13. सुबटी देवी पत्नी पूनमाराम
14. हेमी पत्नी शंकराराम, तमाम जातियान रेबारी, निवासीगण–कालेटी तहसील बागोडा, जिला सांचौर राज
15. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, बागोडा, जिला सांचौर
16. शाखा प्रबन्ध आर. एम. जी. बी. बैंक शाखा धुम्बडिया, तहसील बागोडाजिला सांचौर राज

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बागोड़ाके प्रकरण संख्या 91 / 2022 निर्णय दिनांक 10.02. 2023

उपस्थिति :–

1. श्री पारसमल बाराडा विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट।
2. श्री प्रवीण कुमार विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ।

30/8
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

राजस्व अपील संख्या–130/2024 हंजाराम बनाम कोकूदेवी वगैरा

:: **निर्णय** ::

दिनांकः–30/8/2024

1. पत्रावली में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय जिला कलेक्टर के प्रकरण संख्या 17/2021 के निर्णय से व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई।

2. यह अपील दर्ज रजिस्टर की गई तथा रेस्पोडेण्ट्स को जरिये सम्मन से तलब किया गया।

3. बहस अपील अपीलाण्ट की सुनी गई।

4. विद्वान अधिवक्ता वकील अपीलाण्ट ने बहस के दौरान अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुये कथन किया कि विद्वान न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जो विधि के विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में न केवल तथ्यो की भूल की है बल्कि विधि के मूलभूत सिद्धान्तो के परे जाकर एवं तथ्यों के विपरित जाकर निर्णय पारित किया है जो खारिज होने योग्य है।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस जारी करने की तारीख 15.11.2022 को आदेश पारित किया लेकिन नोटिस 15–12–2022 एक महीने बाद जारी कर तामील कुनिन्दा द्वारा नोटिस लेकर अपीलान्ट के पास जाना बताया और नौटिस लेने से इन्कारी रिपोर्ट पेश की जबकि वास्तविकता यह है कि तामील कुनिन्दा ने रेस्पोडेन्ट्स से मिलावट कर अपीलान्ट के पास मे नोटिस लेकर गया ही नही एवं दो अजनबी व्यक्तियो से नाम लिखाकर उनके अंगुठा हस्ताक्षर नोटिस पर कराये गये और जान बुझकर अदम तामील नोटिस को तामील मानकर न्यायालय में रिपोर्ट पेश की जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 03–02–2023 को उक्त अदम तामील नोटिस तामील मिसल किया गया तथा उनके विन्द्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई और उसी रोज एकपक्षीय रेस्पोडेन्स की बहस सुनी गई एवं अपीलान्ट की गैर मौजूदगी मे निर्णय पारित किया जिससे किया गया आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा केवल मात्र एक बार ही नोटिस जारी किया जो तामील नहीं होने के बावजूद भी तामील माना गया। यदि दूसरी बार पुनः नौटिस जारी कर रजिस्टर्ड डाक से नोटिस जारी करवाने का सी.पी.सी.मे स्पष्ट प्रावधान है लेकिन विधिक प्रावधानो के विरुद्ध जाकर एकपक्षीय कार्यवाही की गई है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नये सिरे से पुनः नोटिस जारी कर तामील किया होता तो अपीलान्ट द्वारा साक्ष्य सबूत अपनी और से अधिनस्थ न्यायालय में पेश करते उसके बाद सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर दोनो पक्षो के बिच पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर अवलोकन करने एवं उभय पक्षकारान की बहस के बाद ही निर्णय पारित करते तो विधि सम्मत निर्णय होता लेकिन ऐसा नही कर विधि के मूलभूत सिद्धान्तों के विपरित जाकर निर्णय पारित किया है जो खारिज योग्य है।

अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 10–02–2023 की पालना में तहसीलदार द्वारा दिनांक 19–04–2023 को दिनांक 13–04–2023 के आदेश

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

की पालना में टीम गठित कर मौके पर जाना बताया जबकि मौके पर न तो कोई टीम उपस्थित आई एवं न ही उस रोज से पहले मुझ अपीलान्ट को बिना पत्थरगढी करने हेतु नोटिस जारी कर सूचित किया। मुझ अपीलान्ट को बिना सूचना तलब किये ही टीम का गठन कर मौके पर पत्थरगढी करने का कार्य करवाकर कुल 19 पत्थर मौके पर गाढ़े गये है। लेकिन उस रोज न तो कोई मौके पर टीम गठित आई और न ही कोई कर्मचारी वहां मौके पर आये। केवल मात्र पटवारी हल्का कालेटी को रेस्पोडेन्टस मौके पर लेकर 4–5 दिन बाद मे आकर पुलिस द्वारा धमकिया दी जाकर एवं हमारे ऊपर राजनैतिक दबाव डालकर पत्त्थर गढी की गई जो हमारी कृषि भूमि का बिना नाप तौल कर विधि विरुद्ध तरीके से निर्णय की आड़ मे पत्थरगढी करने का आदेश पारित करवाने में प्रार्थीगण रेस्पोडेन्टस सफल हुये है जो किया गया आदेश खारिज योग्य है।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विचारण प्रकरण में निर्णय पारित करने से जो पत्थर गढ़ी मौके पर करवाई है जिससे नये एवं पुराने दोनो नक्शो मे अलग–अलग भिन्नता मौके पर पाई गई है। एवं दोनों में अलग–अलग सीमा हो गई है। रेस्पोडेन्स ने अपीलान्ट को झगडालु व राजनैतिक प्रभावशाली व्यक्ति बताया है जबकि अपीलान्ट अनु. जाति का बुजर्ग व्योवद्ध व्यक्ति है, अनपढ है जिसे कानून की कोई जानकारी नहीं है उनका नाजायज फायदा उठाते हुये उनके पीठ पीछे रेस्पोडेन्टस खुद राजनैतिक व झगडालु प्रवृति के प्रभावशाली व्यक्ति होने से अधिनस्थ न्यायालय को गुमराह कर निर्णय पारित करवाने मे एवं पत्थर गढ़ी करवाने में कानून का नाजायज फायदा उठाकर अपीलान्ट की खातेदारी आराजी को जबरन कब्जा कर अपीलान्ट के खातेदारी के अन्दर पत्थरगढ़ी की है जिससे अपीलान्ट की काफी रेकर्डेड कब्जे कास्त की आराजी कम हुई है जिससे किया गया निर्णय विधि सम्मत नहीं होने से खारिज योग्य है।

अपीलान्ट को उक्त निर्णय की जानकारी मौके पर पटवारी हल्का द्वारा बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित कर हमने पत्थर गढी आपके खातेदारी आराजी के अन्दर आपकी बिना सहमति से करवाई है जिस पर मुझ अपीलान्ट ने दिनांक 19–02–2024 को निर्णय की नकल मांगी जो उसी रोज मिली, नकल मिलने एवं पढ़ने से पूरी जानकारी हुई, जानकारी की तारीख से अपील अन्दर म्याद पेश है। अलग से धारा 5 का प्रार्थनापत्र पेश है।

अपीलाण्ट के अधिवक्ता ने अभिकथन कर निवेदन किया है कि अधिनस्थ न्यायालय के बअनवान कोकूदेवी बनाम हंजाराम वगैरा में मु.न. 91/2022 पारित निर्णय दिनांक 10.2.2023 को अपास्त किया जाकर पुनः रिमाण्ड फरवाई जाकर नये सिरे से अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर, साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर देकर निर्णय पारित किये जाने का आदेश प्रदान करावे।

5. रेस्पोडेण्टस के अधिवक्ता ने अभिकथन कर निवेदन किया है कि सरहद मौजा कालेटी तहसील बागोडा में प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी नवीन खसरा नम्बर 407 रकबा 0.26 हेक्टेयर किस्म बारानी प्रथम स्थित है, जिसकी खातेदारी प्रार्थीगण के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज है।

रेस्पोडेण्टस के अधिवक्ता ने अभिकथन कर निवेदन किया है कि रेस्पो. की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 407 के उत्तरी दिशा की ओर खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 406 रकबा 3,00 हैक्टेयर किस्म चाही सोयम जाव सोयम मौजा कालेटी आई हुई है. जिसकी खातेदारी रेस्पो. के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज है।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

अपीलाण्ट की नियत में खोट आने से वह रेस्पो. की भूमि खसरा नम्बर 407 पर अवैध रूप से कब्जा करने की कोशिश में है। रेस्पो. एवं अपीलाण्ट की आराजी के बीच स्थित माठ व सीमा को लेकर हमेशा विवाद होता रहता है, क्योंकि अपीलाण्ट बदमाश व झगड़ालू प्रवृति की होने से तथा राजनैतिक रूप से काफी प्रभावशाली होने से हर रोज रेस्पो.गण की माठ पर आकर माठ को नुकसान पहुंचाता रहता है तथा एस.सी./एस.टी. के झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकियां देता रहता है। ऐसी स्थिति में सीमा का विवाद होने से रेस्पो. व अपीलाण्ट के मध्य कलह क्लेश व लड़ाई—झगड़ा होने का खतरा बना रहता है, जिसको लेकर रेस्पो. ने अपीलाण्ट से इस संबंध में आपसी सहमति से सीमांकन करवाकर पत्थरगढ़ी करवाने का निवेदन किया तो अपीलाण्ट ने इन्कार कर दिया एवं उल्टा प्रार्थीगण की आराजी की माठ को और अधिक नुकसान कारित करने की धमकी दे रहा है।

रेस्पो. ने श्रीमान् तहसीलदार बागोड़ा को पैमाईश करने का निवेदन किया था, जिस तहसीलदार बागोड़ा द्वारा पटवारी कालेटी को मौके पर भेजकर पैमाईश करने का आदेश दिया तो पटवारी ने दिनांक 20.06.2021 को मौके पर पहुंचकर पैमाईश करने हेतु पक्षकारान को मौके पर बुलाया, मगर मौके पर माठ व सीमा को लेकर विवाद होने से पैमाईश नहीं हो पाई, जिसकी मौका फर्द पटवारी हल्का द्वारा कायम की जाकर तहसीलदार बागोड़ा के समक्ष पेश की गई। इस प्रकार यह भलीभांति प्रमाणित है कि अपीलाण्ट मौके पर विवाद उत्पन्न कर रहा है।

अपीलाण्ट रेस्पो. के खेत की उत्तरी माठ को नुकसान पहुंचाता रहता है तथा अवैध रूप से कब्जा करने की फिराक में रहता है। इसलिए मौके पर हमेशा तनाव बना रहता है तथा कई बार विवाद उत्पन्न होने का भी खतरा बना हुआ है। इसलिए समय रहते प्रार्थीगण की आराजी खसरा नम्बर 407 की पैमाईश करवाई जाकर इसकी उत्तरी माठ पर स्थाई सीमा चिन्ह कायम किया जाना न्यायोचित है।

रेस्पो. एवं अपीलाण्ट की आराजी के बीच स्थित माठ का सीमांकन तहसीलदार बागोड़ा के नैतृत्व में राजस्व कर्मचारियों की टीम गठित कर स्थाई बिन्दु से पैमाईश कर माफिक प्रार्थना पत्र पत्थरगढ़ी व स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित करवाया जाना न्यायोचित है।

सरहद मौजा कालेटी तहसील बागोड़ा में स्थित रेस्पो. की आराजी खसरा नम्बर 407 रकबा 0.26 हैक्टेयर की स्थाई बिन्दु से पैमाईश करवाई जाकर उक्त आराजी की उत्तरी माठ का सीमांकन किया जाकर स्थाई सीमा चिन्ह (पत्थरगढ़ी या कटीले तारो की माठ) कायम करावें। विकल्प में यह निवेदन है कि उपरोक्त सीमांकन हेतु एक राजस्व टीम श्रीमान् तहसीलदार के नैतृत्व में हल्का पटवारी, हल्का आर.आई., सहित कम से कम पांच कर्मचारियों को गठित कर उपरोक्त स्थाई सीमा चिन्ह पत्थरगढ़ी कायम करने का आदेश फरमावें।

6. हमने उपस्थित वकील अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेन्टस की बहस पर चिन्तन एवं मनन किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावलीयों का बगौर अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार, बागोडा से न तो प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 में जवाब लिया तथा न ही जांच रिपोर्ट जैर अपील प्रकरण मे प्राप्त की गई एवं न ही सी.पी.सी. के प्रावधानो के अनुसार सुना गया

9/5/2018

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

प्रकरण मे प्राप्त की गई एवं न ही सी.पी.सी. के प्रावधानो के अनुसार सुना गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना जांच रिपोर्ट के निर्णय पारित कर दिया जिसको यथावत रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बागोडा के प्रकरण संख्या 91/2022 दिनांक 10.02.2023 को अपास्त किया जाता है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बागोडा को प्रकरण इन दिशा निर्देशो के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी के संबंध में तहसीलदार, बागोडा से मौका एवं रेकर्ड की रिपोर्ट ली जाये तथा अपीलाण्ट्स को सुनवाई तथा साक्ष्य प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर प्रदान करने के बाद विधि सम्मत निर्णय पारित करे। अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकॉर्ड इस निर्णय की प्रति के साथ माफिक निर्णय पालना करने हेतु पुनः लौटाया जावे। पत्रावली दर्ज फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

यह निर्णय आज दिनांक ....30/10/24........ को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे–इजलास सुनाया गया।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)